July - September, 2015

Rajasthan Police Academy

News Letter

इस अंक में .....

स्वाधीनता दिवस समारोह

आर्ट ऑफ सुपरविजन पर प्रशिक्षण

पूछताछ व अनुसंधान

साइबर अपराध पर प्रशिक्षण

मानव तस्करी पर प्रशिक्षण

Peele's Policing Principles (London, 1829)

1) The basic mission for which the police exist is to prevent crime and disorder.
2) The ability of the police to perform their duties is dependent upon the public approval of police actions.
3) Police must secure the willing co-operation of the public in voluntary observation of the law to be able to secure and maintain the respect of the public.
4) The degree of co-operation of the public that can be secured diminishes proportionately to the necessity of the use of physical force.
5) Police seek and preserve public favor not by catering to public opinion but by constantly demonstrating absolute impartial service to the law.
6) Police use physical force to the extent necessary to secure observance of the law or to restore order only when the exercise of persuasion, advice, and warning is found to be insufficient.
7) Police, at all times, should maintain a relationship with the public that gives reality to the historic tradition that police are the public and the public are the police.
8) Police should always direct their action strictly toward their functions and never appear to usurp the powers of the judiciary.
9) The test of police efficiency is the absence of crime and disorder, not the visible evidence of police action in dealing with it.

निदेशक की कलम से ...

जनता के प्रजातान्त्रिक हितों की रक्षा करने के लिए समस्त सरकारी तन्त्र की सोच एवं प्रशिक्षण में प्रजातान्त्रिक मूल्यों का समावेश किया जाना चाहिए। पुलिस प्रशिक्षण अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रजातन्त्र को अक्षुण बनाये रखने के लिए पुलिस व्यवस्था एवं कार्यप्रणाली का बहुत अधिक महत्व है। विश्व के समस्त देशों में पुलिस प्रशिक्षण में कुछ समानताएं अवश्य मिलती हैं। प्रत्येक देश स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार पुलिस प्रशिक्षण की प्राथमिकताएं तय करता है। हमारे देश में भी अपराधों एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति के अनुसार पुलिस प्रशिक्षण निर्धारित किया गया है परन्तु देश के विभिन्न भागों में पुलिस प्रशिक्षण में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार भिन्नताएं हैं। राजस्थान पुलिस में प्रशिक्षण राजस्थान की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रदान किया जाता है परन्तु समस्त देश के विभिन्न पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में प्रचलित पाठ्यसामग्रियों का अध्ययन कर राजस्थान की परिस्थितियों के अनुसार इण्डोर एवं आउटडोर पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है। पाठ्यक्रम में समय-समय पर पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में पदस्थापित अधिकारियों, फील्ड अधिकारियों एवं अनुभवी उच्च अधिकारियों द्वारा मंथन कर आवश्यक परिवर्तन भी किये जाते रहे हैं। पुलिस प्रशिक्षण को भविष्यगामी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए समस्त देश के पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रमुखों का सिम्पोजियम बीपीआर एण्ड डी के सौजन्य से गत वर्ष राजस्थान पुलिस अकादमी में करवाया गया था, जहाँ अनेक सुझाव अमल करने लायक प्राप्त हुए थे। पुलिस प्रशिक्षण में निजी क्षेत्र की भागीदारी भी बढ़ाई जानी चाहिए। आम जनता एवं सिविल प्रशासन में अनुभवी लोगों के सुझाव भी पुलिस प्रशिक्षण को भविष्य की चुनौतियों तथा जन अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने में उपयोगी हो सकते हैं। सेवानिवृत पुलिस अधिकारी, जिन्होंने अपने कार्य से समस्त देश में पुलिस विभाग पर विशेष छाप छोड़ी है, की सेवाएं इस क्षेत्र में वांछित सुधार ला सकती है। पुलिस प्रशिक्षण को वर्तमान चुनौतियों के अनुरूप बनाने के लिए निरन्तर प्रयास किये जाने चाहिए ताकि हमारे देश में प्रजातन्त्र को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।

वर्तमान समय में देश में आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, संगठित अपराध तथा आतंकवाद प्रमुख चुनौतियों के रूप में उभर रहे हैं। संगठित अपराध गिरोह एवं आतंकवादियों का भी प्रमुख लक्ष्य आर्थिक लाभ ही बनता जा रहा है। भविष्य में पुलिस प्रशिक्षण की प्राथमिकताओं में हमें इस प्रकार के गिरोहों से निपटने के लिए पुलिस बल को और अधिक प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है। आप सभी के सुझाव इस सम्बन्ध में आमन्त्रित हैं।

भगवान लाल सोनी
निदेशक

स्वाधीनता दिवस समारोह

राजस्थान पुलिस अकादमी में प्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ष भी स्वाधीनता दिवस भव्यता के साथ समारोह पूर्वक मनाया गया। अकादमी में इस अवसर पर विशेष सजावट की गई तथा विभिन्न भवनों पर रोशनी के साथ ही अनेक स्थानों पर रंग–बिरंगी रंगोली बनाई गई। अकादमी के स्टेडियम में विशेष रूप से सजावट की जाकर समारोह स्थल को भी भव्यता प्रदान की गई। इस अवसर पर अकादमी स्टाफ के साथ ही अकादमी परिसर स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय के छात्र एवं अध्यापक भी शामिल थे। अकादमी के निदेशक श्री भगवान लाल सोनी के आगमन पर उनका अतिरिक्त निदेशक, उप निदेशक एवं अन्य अधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। मंच आगमन पर उनके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को स्वाधीनता दिवस की शुभकामना देते हुए अकादमी के विभिन्न कार्यों में उनकी भूमिका की सराहना की तथा कहा कि अकादमी आज जिस मुकाम पर है उसमें अकादमी के सभी कर्मचारियों व अधिकारियों की मेहनत लगी है तथा उनके अथक प्रयासों से ही अकादमी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना पाई है। उन्होंने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि लम्बे संघर्ष के पश्चात् प्राप्त आजादी का फल प्रत्येक भारतवासी तक पहुँचना चाहिए तथा इसमें पुलिस की महत्ती भूमिका है। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को कहा कि आप लोग लम्बे समय तक सेवा में रहेंगे तथा पुलिस सेवा में रहते हुए पीड़ित व्यक्ति के दुःख दर्द की परानुभूति करते हुए उनकी पूर्ण मनोभाव से सेवा करना अपने जीवन का लक्ष्य बनायें। ऐसा करते हुए आप न केवल लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे अपितु प्रजातन्त्र को मजबूत बनाने में भी अहम् भूमिका निभाऐंगे। इस अवसर पर राष्ट्रभक्ति के गीत भी गाये गये। अकादमी के निदेशक ने भी इस अवसर पर ''हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए'' गीत गाया। इस अवसर पर सभी उपस्थित जवानों एवं विद्यालय के छात्र–छात्राओं एवं अध्यापकों को लड्डू वितरण किये गये। अधिकारियों के लिए मनु सदन में जल–पान का आयोजन किया गया। मनु सदन में भी कई अधिकारियों ने राष्ट्रभक्ति के गीत सुनाए।

सांस्कृतिक संध्या उमंग

राजस्थान पुलिस अकादमी में स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस वर्ष देश की आजादी के 69 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में सांस्कृतिक संध्या का नाम ''उमंग 69'' रखा गया। इस अवसर पर अकादमी की आवासीय कॉलोनी से भी भारी संख्या में पुलिस परिवारों के सदस्य सांस्कृतिक संध्या का आनन्द लेने के लिए ऑडिटोरियम में उपस्थित हुए। इस सांस्कृतिक संध्या में पुलिस अकादमी के परिवारों के अतिरिक्त विशेष रूप से आमन्त्रित मेहमानों ने भी बड़ी संख्या में शिरकत की। यह सांस्कृतिक संध्या अपने आप में अनूठी थी क्योंकि इस सांस्कृतिक संध्या के माध्यम से न केवल देशभक्ति पूर्ण गीतों एवं लघु नाटिकाओं की प्रस्तुति दी गई अपितु समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर भी प्रहार किये गये।

आज देश में नई पीढ़ी आजादी की लड़ाई लड़ने वाले शहीदों के बलिदान को भूलती जा रही है। आजादी प्राप्त होने के पश्चात् देश में विभिन्न प्रकार के अपराध बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। युवा पीढ़ी को देश की आजादी के लिए संघर्ष की याद दिलाने के लिए मंगल पाण्डे, की बगावत को मंच पर दर्शाकर आजादी के लिए दी गई मंगल पाण्डे की शहादत याद दिलाई गई। चन्द्रशेखर आजाद पर प्रस्तुत की गई लघु नाटिका ने सर्वाधिक तालियाँ बटोरी जहाँ प्रशिक्षु उप निरीक्षकों ने अपने जीवन्त अभिनय से अंग्रेजों द्वारा ढहाये गये जुल्म को पूर्ण रोचकता के साथ प्रस्तुत किया। इस मंच पर गाँधीजी के सन्देशों के साथ ही शहीद भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव की शहादत को भी याद किया गया। मंच पर देश के लिए कुर्बान होने वाले शहीदों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के साथ ही देश एवं समाज में व्याप्त विभिन्न बुराईयों पर भी प्रहार किया गया। प्रमुख रूप से बेटी बचाओ सन्देश के साथ ही पुत्री के स्थान पर पुत्र प्राप्ति की इच्छा पर बहुत ही रोचक प्रस्तुति दी गई। पुत्री के पैदा होने पर किये जाने वाले विलाप को दर्शाते हुए बिगड़ते हुए लिंगानुपात की वीभत्स समस्या पर प्रकाश डाला गया। देश में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कामचोरी की समस्या को रोचक तरीके से अभिनीत किया गया। प्रस्तुत लघु नाटिकाओं में मानव तस्करी के मुद्दे को प्रभावी ढ़ग से उठाते हुये पीड़ित को दी जाने वाली यातना एवं शोषण की बेजोड़ प्रस्तुति दी गई। अन्य प्रस्तुतियों में सफाई अभियान को जन आन्दोलन बनाने के लिए भी सन्देश दिया गया।

सांस्कृतिक संध्या की रोचक प्रस्तुतियों में देशभक्ति के गीतों पर समूह नृत्य की प्रस्तुति एवं लोक गीतों के साथ ही खड़ताल, मौरचंग, ढ़ोलक एवं अन्य वाद्य् यन्त्रों के माध्यम से श्रोताओं का मनोरंजन किया गया। सम्पूर्ण प्रस्तुति अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 65 उप निरीक्षक प्रशिक्षु एवं बैण्ड आरक्षी प्रशिक्षुओं द्वारा दी गई। समारोह के अन्त में अकादमी के निदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने सभी कलाकारों को उनकी शानदार प्रस्तुतियों के लिए बधाई दी तथा डॉ. रूपा मंगलानी, व्याख्याता एवं श्री प्रकाश सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सांस्कृतिक संध्या में तैयारी करवाने के लिए धन्यवाद दिया। अन्त में उन्होंने समस्त मेहमानों तथा दर्शकों को भी स्वाधीनता दिवस पर बधाई देते हुए सभी कलाकारों का करतल ध्वनि से समय–समय पर उत्साह वर्धन करने के लिए धन्यवाद दिया।

आर्ट ऑफ सुपरविजन पर प्रशिक्षण

पुलिस अधिकारियों को मुकदमों के अनुसंधान में पर्यवेक्षण के लिए पर्यवेक्षण अधिकारी को स्वयं विभिन्न प्रकार के अपराधों के अनुसंधान में निपुण होना अतिशय जरूरी है। अनुसंधान में निपुणता के बिना अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों का मार्गदर्शन किया जाना सम्भव नहीं है। अतः अनुसंधान में निपुणता के लिए एवं अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को अनुसंधान में मार्गदर्शन के लिए राजस्थान पुलिस अकादमी में पुलिस अधिकारियों का 'अनुसंधान में पर्यवेक्षण' विषय पर निरन्तर प्रशिक्षण आयोजित किये जा रहे हैं। इस प्रशिक्षण में विषय वस्तु का चयन उच्च स्तर पर गम्भीर मंथन के पश्चात् किया गया है। प्रशिक्षण के दौरान भी जिन विषयों को इस प्रशिक्षण में शामिल किये जाने की आवश्यकता महसूस की जाती हैं, उन पर विचार किया जाकर विषय वस्तु में आवश्यक परिवर्तन किये जाते रहे हैं। अनुसंधान पर्यवेक्षण पर दिनांक 13.07.2015 से 17.07.2015 तक एवं दिनांक 31.08.2015 से 04.09.2015 तक दो प्रशिक्षण आयोजित किये गये। दिनांक 31.08.2015 को आयोजित प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र में श्री एन.आर.के. रेड्डी अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस कानून व्यवस्था पधारे जिनका स्वागत करते हुए अकादमी के निदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने कहा कि अनुसंधान कार्य में अगर अनुसंधान अधिकारी ही सब कार्य अपने विवेक से करता है तो पुलिस में वरिष्ठ क्रम के अधिकारियों की क्या भूमिका है? उन्होंने पर्यवेक्षण अधिकारियों को अधीनस्थ अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए घटना स्थल पर जाने तथा वहाँ पर रुककर अनुसंधान में मार्गदर्शन पर बल दिया। श्री एन.आर.के. रेड्डी ने प्रकरणों में कम सजा के प्रतिशत का प्रमुख कारण पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा अनुसंधान में कम रूचि लेना बताया। उन्होंने शीना बोहरा हत्या काण्ड में अनुसंधान में छोड़ी गई कमियों के बारे में बताते हुए पर्यवेक्षण अधिकारियों की लापरवाही को भी रेखांकित किया। उन्होंने विभिन्न अपराधों का उल्लेख करते हुये अनुसंधान के दौरान अनुसंधान अधिकारियों द्वारा अनुसंधान में रखी जाने वाली कमियों के बारे में बताया तथा कहा कि हमारे अन्दर अपराधों को खोलने का जूनून होना चाहिए। उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को ध्यान से सुनना, उन पर अनावश्यक दबाव नहीं बनाना, आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना, उनके साथ कार्य में लग कर मार्गदर्शन देना तथा सफलता प्राप्त होने पर उन्हें धन्यवाद देना आदि एक अच्छे पर्यवेक्षक अधिकारी के गुण बताये। उन्होंने प्रत्येक अधिकारी को व्यवसायिक कौशल में वृद्धि करने का आह्वान किया तथा आपसी सहयोग से कार्य करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रकरणों को संदेह से परे साबित करने की जिम्मेदारी हमारी है। प्रथम सूचना पंजीबद्ध करते समय पूर्ण सावधानी रखी जानी चाहिए तथा अनुसंधान के दौरान साक्ष्य में अनावश्यक छेड़–छाड़ नहीं की जानी चाहिए। पुलिस थानों में उपलब्ध अनुसंधान किट का प्रयोग करने, घटनास्थल की फोटोग्राफी करने, तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करने जैसी बातों पर बल देते हुए उन्होंने घटना स्थल को सुरक्षित रखे जाने पर भी बल दिया। कतिपय अपराधों में अपराध की घटना का पुनःनिर्माण करने से हमें कई प्रकार के साक्ष्य एवं सहायता मिलती है। उन्होंने मौके पर फर्द बनाने की आवश्यकता पर बल दिया तथा अनुसंधान में धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता पर अत्यधिक निर्भरता को अनुचित बताया तथा अधिकांश मामलों में एक ही व्यक्ति को गवाह रखना भी गलत बताया। उन्होंने महत्वपूर्ण मामलों में पटवारी एवं ग्राम सेवक को गवाह रखना उचित बताया। उन्होंने संगीन अपराधों में लिप्त व्यक्तियों के हथकड़ी लगाने की अनुमति लेने की आवश्यकता पर बल दिया तथा अनुसंधान के दौरान अपराधियों द्वारा लिये जाने वाले बचाव को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान करने पर बल दिया।

प्रशिक्षण के दौरान घटना स्थल की फोटोग्राफी,

वीडियोग्राफी, साक्ष्यों का संकलन तथा उन्हें सही तरीके से पैक एवं सील मोहर करने, विशेषज्ञ की राय के लिए भिजवाना आदि के बारे में श्री राधेश्याम शर्मा पूर्व अतिरिक्त निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा जानकारी प्रदान की गई। श्री गिरवर सिंह ने भूमि सम्बन्धी मामलों में ली जाने वाली साक्ष्य के बारे में बताया। श्री अशोक गुप्ता विशेषाधिकारी गृहमन्त्री राजस्थान ने पर्यवेक्षण अधिकारियों के साक्ष्य विश्लेषण, अभियोजन एवं अपील एवं रीविजन आदि के बारे में बताते हुये उन्मोचन की पत्रावलियों में विश्लेषण कर अपील के आधारों एवं न्यायालयों में साक्ष्य तथा महत्वपूर्ण प्रकरणों में सम्पूर्ण प्रक्रिया पर निगरानी रखने के बारे में प्रतिभागियों से अनुभव साझा किये। संगीन अपराधों में पर्यवेक्षण नोट बनाने एवं पर्यवेक्षण करने के बारे में तथा सम्पति सम्बन्धी अपराधों में पर्यवेक्षण के बारे में श्री रामसिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जानकारी प्रदान की।

श्री डी.सी. जैन महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेन्ज ने शारीरिक अपराधों के बारे में जानकारी प्रदान करते हुये रक्त, लार, वीर्य, शारीरिक स्वाब लेने की विधियों, चोटों के परीक्षण में समय एवं घाव की गहराई तथा प्रयुक्त हथियार, मृतक की चोटों का परीक्षण आदि में पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दिये जाने वाले सुझाव एवं मार्गदर्शन पर बताते हुये चोटों के मामले में उचित तरीके से साक्ष्य संकलन के बारे में बताया। उन्होंने बलात्कार एवं छेड़खानी, धारा 302, 304बी, 306, 498ए भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 113ए तथा 114ए साक्ष्य अधिनियम के मामलों में अनुसंधान के बारे में जानकारी प्रदान करते हुये चिकित्सीय परीक्षण एवं एफएसएल रिपोर्ट तथा मौखिक साक्ष्य की समरूपता पर बल दिया। केस डायरी लिखने तथा पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा केस डायरी का अध्ययन कर अनुसंधान अधिकारियों को दिये जाने वाले निर्देशों के बारे में श्री संजीव भटनागर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जानकारी प्रदान की। अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान में प्रमुखता से रखी जाने वाली कमियों तथा उनके निराकरण के बारे में श्री राजेन्द्र सिंह, निदेशक अभियोजन द्वारा जानकारी प्रदान की गई। अनुसंधान में मोबाइल टेलिफोन के प्रयोग तथा विज्ञान एवं तकनीक के पर्यवेक्षण में उपयोग के बारे में तथा सीडीआर विश्लेषण से प्राप्त होने वाले परिणामों के बारे में श्री मनीष शर्मा, पुलिस निरीक्षक द्वारा जानकारी प्रदान की गई। श्री आनन्द वर्धन शुक्ला, अतिरिक्त निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी ने स्पेशल क्राइम रिपोर्ट एवं गम्भीर अपराधों में अनुसंधान की कार्य योजना बनाने एवं चरणबद्ध साक्ष्य संकलन के बारे में बताते हुये गवाहों एवं संदिग्धों के साथ की जाने वाली पूछताछ की विधि के बारे में बताया। मेडिको–लीगल परीक्षण के बारे में डॉ. आर.के. पूनियाँ द्वारा जानकारी प्रदान की गई तथा अनुसंधान के विधिक पक्ष पर श्री लाल सिंह राव सेवानिवृत सेशन न्यायाधीश ने जानकारी प्रदान की।

अनुसंधान के सम्बन्ध में विधिक प्रावधानों के बारे में श्री अरविन्द कुमार गुप्ता अधिवक्ता द्वारा जानकारी साझा की गई तथा श्री गौरव श्रीवास्तव पुलिस अधीक्षक ने साइबर फोरेन्सिक पर जानकारी प्रदान की। अन्य प्रमुख वक्ताओं में सत्येन्द्र सिंह सेवानिवृत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा श्रीमती अनुकृति उज्जैनियाँ, सहायक निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी थे।

श्री भगवान लाल सोनी, निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी ने अनुसंधान की कार्ययोजना के बारे में बताते हुए विवादित दस्तावेजों की छंटनी, फोरेन्सिक ऑडिट तथा उसके लिए उपलब्ध संसाधनों के बारे में बताते हुये आर्थिक अपराधों के अनुसंधान पर विस्तार से प्रकाश डाला तथा अनुसंधान अधिकारियों को इस प्रकार के अपराधों में अन्य ऐजेन्सियों की सहायता तथा बैंकर, ऑडिटर्स, सीए, सीएस आदि से सहायता लेने की प्रक्रिया बताई। कोर्स के समापन सत्र में श्री ओमेन्द्र भारद्वाज सेवानिवृत महानिदेशक पुलिस राजस्थान पधारे जिनकी उपस्थिति में प्रतिभागियों के विभिन्न ग्रुप द्वारा अनुसंधान से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर प्रस्तुतीकरण दिया गया।

उत्कृष्ठ सेवाओं के लिए अंलकरण

वर्ष 2015 में राजस्थान पुलिस अकादमी में कार्यरत कुल 25 कर्मचारियों को उत्तम, अति–उत्तम एवं सर्वोत्तम सेवा चिन्ह प्रदान किये गये है। उत्तम सेवा चिन्ह सर्वश्री सुरेन्द्र पंचौली, उप निरीक्षक, अनिल कुमार, कानि0 न.18, संदीप कुमार, कानि0 19, शैलैन्द्र सिंह, कानि0 68, खेम चन्द, कानि0 84, जयप्रकाश, कानि0 103, राजेश कुमार, कानि0 112, भँवर कुन्दन सिंह कानि0 121, जाकीर हुसैन, कानि0 122, दिलीप सिंह, कानि0 135, बाबू लाल, कानि0 174, सम्पत सिंह, कानि0 185, अशोक कुमार, कानि0 188, विक्रम सिंह, कानि0 245 एवं श्रीमती गायत्री देवी महिला कानि0 162 व श्रीमती कौशल्या देवी, महिला कानि0 181 को प्रदान किया गया। अति–उत्तम सेवा चिन्ह प्राप्त करने वालों में सर्वश्री राधेश्याम कानि0 114, कानसिंह कानि0 151, शंकर सिंह कानि0 153, पहली राम कानि0 161, मीठा लाल कानि0 166 एवं पप्पू लाल कानि0 187 थे तथा सर्वोत्तम सेवा चिन्ह प्राप्त करने वालों में सर्वश्री प्रताप सिंह हैड कानि0 29, रामनाथ सिंह हैड कानि0 48 एवं बन्ने सिंह हैड कानि0 53 थे। इन अधिकारियों को यह सेवा चिन्ह अकादमी स्थित ऑडिटोरियम में अकादमी के निदेशक श्री भगवान लाल सोनी द्वारा प्रदान किये गये। इस अलंकरण समारोह में अकादमी के निदेशक के अतिरिक्त श्री आनन्द वर्धन शुक्ला, अतिरिक्त निदेशक एवं श्री ओमप्रकाश, उप निदेशक एवं प्राचार्य भी उपस्थित थे।

राजस्थान पुलिस में राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा के सदस्यों को उत्तम, अति–उत्तम एवं सर्वोत्तम सेवा चिन्ह प्रदान कर उनकी उत्कृष्ट सेवा को पहचान प्रदान की जाती है। इन सेवा चिन्हों को प्राप्त करने के लिए पुलिस बल के सदस्यों को निरन्तर बेहतर एवं दाग रहित सेवा प्रदान करनी होती है। उत्तम, अति–उत्तम एवं सर्वोत्तम सेवा चिन्ह क्रम से सेवा की अवधि के अनुसार प्राप्त किये जा सकते हैं। उत्तम सेवा चिन्ह प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा होनी चाहिए तथा उत्कृष्ट सेवा अभिलेख के साथ ही उनकी सत्यनिष्ठा के बारे में कोई सन्देह नहीं होना चाहिए और साथ ही उनका ऐसी किसी कार्यवाही से भी सम्बन्ध नहीं होना चाहिए जिसकी न्यायालय द्वारा भर्त्सना की गई हो। उत्तम सेवा चिन्ह हेतु 10 वर्षों की वार्षिक कार्य मूल्याकंन रिपोर्ट के आधार पर 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अधिकारी ही पात्र माने जाते है। यदि किसी अधिकारी की एक भी ए.पी.ए. रिर्पोट भरी हुई नहीं हो तो उसे सेवा चिन्ह के लिए अपात्र माना जाता है। उत्तम सेवा चिन्ह प्राप्त होने के तीन वर्ष पश्चात् अति उत्तम सेवा चिन्ह तथा अति उत्तम सेवा चिन्ह प्राप्त होने के सात वर्ष पश्चात् ही सर्वोत्तम सेवा चिन्ह के लिए पात्रता बनती है।

वस्तुतः हर स्थिति में उत्कृष्ट कार्य करने वालों की पहचान होनी चाहिए। पुलिस विभाग में उत्कृष्ट सेवा के फलस्वरूप सेवा चिन्ह तथा मेडल प्रदान किये जाते हैं। इस अवसर पर बोलते हुए अकादमी के निदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने सभी सेवा चिन्ह प्राप्त करने वाले अधिकारियों को बधाई दी तथा कहा कि पुलिस का कार्य निश्चित ही कठिन है परन्तु विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं को साबित करने वाले अधिकारी ही हमेशा इस प्रकार के पुरस्कार के पात्र होते हैं। उन्होंने पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी अधिकारियों को भविष्य में भी पूर्ण लगन एवं निष्ठा से कार्य करने का आह्वान किया।

पूछताछ व अनुसंधान

पूछताछ एक प्रकार की प्रश्न पूछने की कला है जिसके द्वारा किसी अपराधी या अपराध में शामिल संदिग्ध से कम से कम समय में ज्यादा सूचनाएं प्राप्त करना है जो सही एवं महत्वपूर्ण हो। पूछताछ वह कला है जिसमें अपराधी/संदिग्ध न चाहते हुए भी वह सब कुछ बता देवें जिसे वह बताना नहीं या छुपाना चाहता है। अतः यह संदिग्ध एवं पूछताछकर्त्ता के बीच बुद्धि की लड़ाई है। पूछताछ करना वह प्रक्रिया है जिसमें संदिग्ध के दिल में छिपे हुए राज को योजना बद्ध तरीके एवं तकनीक से मालूम किया जाता है। वैज्ञानिकों का कथन है कि व्यक्ति का मन और मस्तिष्क आपस में विचारों के ताने–बाने से जुड़ा रहता है। अतः पूछताछ दोनों प्रकार के वार्तालाप को जोड़ने वाली कड़ी है। एक पूछताछ अधिकारी उस तुलनात्मक वार्तालाप से अध्ययन करके संदिग्ध से प्रश्न पूछता है जिससे सत्य बात सफलतापूर्वक तरीके से मालूम की जा सकती है। अतः यह एक कला (हुनर) है जिसमें अन्य कलाओं की तरह सैद्धांतिक ज्ञान के साथ–साथ व्यवहारिक ज्ञान द्वारा दक्षता हासिल की जा सकती है।

पूछताछ अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण एवं कठिन कार्य है जिसमें अपराध एवं अपराधी के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है, जिसके आधार पर साक्ष्यों का संकलन कर अपराधी/संदिग्ध पर लगे आरोपों को सिद्ध किया जाता है। अतः पूछताछ किसी भी अनुसंधान का प्रमुख आधार होता है। पूछताछ अपराधी/संदिग्ध, गवाह या पीड़ित किसी से भी हो वह सत्य की जानकारी हासिल करने हेतु की जाती है, जो सही एवं निष्पक्ष अनुसंधान करने में मुख्य भूमिका निभाती है। पुलिस द्वारा अपराधी एवं संदिग्धों से पूछताछ करना सदियों से चला आ रहा है फिर भी बहुत सारे पुलिस अधिकारी पूछताछ का विज्ञान नहीं जानते हैं। उनका मानना है कि पुलिस की शक्ति से सभी डरते हैं। अतः वे मन माने ढंग से पूछताछ करते है और पूछताछ को गम्भीरता से नहीं लेते हैं। विभाग में व्यवसायिक दक्ष एवं मनौवेज्ञानिक तरीकों से पूछताछ करने वाले पूछताछकर्ताओं की कमी है इस सत्य को कोई भी नहीं मानता की पूछताछ एक कठिन एवं तकनीकी विषय है जिसके लिए विशेष योग्यता एवं दक्षता जरूरी है।

वैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करना एक अच्छे अनुसंधानकर्त्ता का सच्चाई ज्ञात करने का मुख्य हथियार होता है। बुद्धिमतापूर्ण एवं सावधानीपूर्वक किये गये प्रश्नों के द्वारा एक पूछताछकर्त्ता संदिग्ध के छुपे राज जानकर सत्य सूचनाएं हासिल करता है। एक अनुसंधानकर्ता पूछताछ द्वारा एक अपराधी को अपराध से जोड़ने व अपराधियों का पर्दाफाश करने के साथ ही संदिग्ध को दोषी/अपराधी ही सिद्ध नहीं करता बल्कि किसी निर्दोष की बेगुनाही का पता भी लगाता है। विस्तृत पूछताछ से सच्चाई के साथ–साथ संदिग्धों से पूर्व में प्राप्त सूचनाओं का सत्यापन, अपराध के तथ्यों को स्थापित करना, अपराध सम्बन्धी बरामदगी करना, संदिग्ध/अपराधियों के सहयोगियों का पता लगाना, संदिग्ध पूर्व में और किन–किन अपराधों में शामिल रहा है की जानकारी, अपराधियों की कार्यप्रणाली (Modus Operandi) का पता लगाना आदि महत्वपूर्ण सूचनाएं भी प्राप्त होती है जिनका उपयोग अन्य अपराधों को खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

एक पूछताछकर्ता को मानव व्यवहार एवं मानव मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने में काफी समय लगता है लेकिन बहुत से पूछताछकर्त्ताओं में धैर्य का अभाव होता है वे तुरन्त नतीजा चाहते है जिसके फलस्वरूप शॉर्ट कट तरीके के रूप में पारम्परिक तरीका अपनाकर संदिग्ध को पूछताछ के नाम पर यातनापूर्ण व्यवहार द्वारा अमानवीय कार्य कर देते हैं। यह मानवाधिकारों के विरुद्ध है जो पुलिस की छवि एवं उसके कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही का अभाव दर्शाते है और साथ ही समाज को पुलिस की आलोचना करने का मौका प्रदान करते है। वर्तमान समय में मानवाधिकार एवं अन्य कानूनी गाइड लाईन्स के मध्यनजर थर्ड डिग्री का उपयोग करना अपने आपको एक नई समस्या में डालना है। वैसे भी देखा जावे तो पूछताछ का यह तरीका एक दुधारी तलवार की तरह है, अगर अपराधी सामान्य किस्म का होगा तो ब्रेक होकर जानकारी प्रदान कर सकता है लेकिन हार्डकोर संदिग्ध/अपराधी थर्ड डिग्री तरीके से हठी हो सकता है फिर वो किसी प्रकार की जानकारी पूछताछकर्त्ता को नहीं देगा। अतः थर्ड डिग्री के दुष्प्रभाव पूछताछकर्त्ताओं के लिए समस्या कारक हो सकते हैं।

It is Important to Torture. "To Detect one Crime, Don't Commit another Crime"

वर्तमान में विभाग में यह देखने में आया है कि कई अनुसंधानकर्ता अपराध अनुसंधान के समय केवल संक्षिप्त पूछताछ कर अपनी पत्रावली को तैयार करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप समय–समय पर न्यायालयों द्वारा कमजोर

अनुसंधान के नाम पर आलोचनात्मक टिप्पणी पुलिस विभाग पर करना प्रकाशित होता रहता है। पूछताछ एक कठिन एवं समय लेने वाला कार्य है अतः विस्तृत पूछताछ का अभाव पाया जाता है जबकि गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान में पूछताछ का महत्वपूर्ण स्थान होता है।

अच्छे अनुसंधान हेतु अनुसंधानकर्त्ता में एक अच्छे पूछताछकर्ता के गुण होना आवश्यक है। अतः एक अच्छे पूछताछकर्ता के गुण एवं पूछताछ के प्रभावी तरीके सम्बन्धी कुछ बिन्दु एवं सुझाव निम्न प्रकार है जिनका प्रयोग कर पूछताछ के वांछित परिणाम प्राप्त किये जा सकते है।

पूछताछकर्त्ता के गुणः—

1. धैर्यशील होना चाहिए।
2. प्रभावी व्यक्तित्व वाला (Impressive Personality) होना चाहिए।
3. आत्मविश्वासी (Self Confidence) होना चाहिए।
4. अच्छी अवलोकन क्षमता वाला होना चाहिए। (Good Observer)
5. संदिग्ध की भाषा का ज्ञान होना चाहिए।
6. संदिग्ध की मानवीय कमजोरियों का पता रखने वाला हो।
7. अच्छा सामान्य ज्ञान रखने वाला होना चाहिए।
8. अच्छा प्रश्नकर्ता होना चाहिए।
9. हाजिर जवाबी (Presence of mind) होना चाहिए।
10. पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। (Free From Bias)
11. अच्छी याददास्त वाला होना चाहिए।

संदिग्ध से पूछताछ के तरीके (Methods)

संदिग्ध से पूछताछ मुख्यतः इस बात पर निर्भर करती है कि वह किस प्रकार का अपराधी है, उसका अपराध क्या है, उसका पूर्व इतिहास (Background) क्या रहा है और हमें उससे क्या—क्या जानकारी हासिल करनी है? संदिग्ध हमेशा अपनी बात छुपाने की कोशिश करता है और हमें उससे वे सभी जानकारियाँ हासिल करनी है जो उसके पास है। अतः पूछताछ के समय हम निम्न कुछ बिन्दुओं (Tips) का उपयोग कर सकते है।

1. संदिग्ध को मुक्त रूप से (Freely) अपनी कहानी सुनाने दें, बीच में कोई टोका टाकी नहीं करें और महत्वपूर्ण बिन्दु नोट करते रहें।
2. संदिग्ध से उसकी कहानी बार—बार सुनी जानी चाहिए क्योंकि हर बार नयी कहानी सुनाएगा जिससे उसकी झूठ पकड़ी जा सके।
3. संदिग्ध की कहानी से असहमति हमेशा तर्क सहित जतानी चाहिए।
4. संयुक्त पूछताछ में पहले पूरी टीम को विचार विमर्श कर लेना चाहिए कि किसकी क्या भूमिका रहेगी।
5. संदिग्ध उग्र एवं आक्रमणकारी हो तो इस सम्बन्ध में सुरक्षा व्यवस्था रखी जावे।
6. संदिग्ध के साथ सहानुभूति, दयालुता एवं दोस्ताना व्यवहार जताया जावे।
7. संदिग्ध को अल्प अपराध को गम्भीर एवं गम्भीर अपराध को अल्प अपराध करने का झांसा देकर।
8. संदिग्ध के चेहरे के हावभाव एवं (Body Language) का अवलोकन करते रहें।
9. संदिग्ध से बार—बार घुमा—फिराकर प्रश्न करते रहे जिससे उसकी झूठ पकड़ी जा सके।
10. संदिग्ध की भावनात्मक कमजोरियों का पता लगाकर उसे इमोशनली ब्रेक किया जावे।
11. संदिग्ध को सह अपराधी द्वारा फंसाये जाने का झांसा देकर एवं अपराध उसी का बताकर ब्रेक किया जा सकता है।
12. संदिग्ध को यह जताना कि हम सब कुछ जानते है तुमने बड़ा अपराध किया उसमें बुक कर देंगे तो वह ब्रेक होगा एवं बड़े दण्ड के डर से सही बात बता देगा।
13. संदिग्ध से पूछताछ के दौरान Leading Question नहीं करें। ब्रेक होने पर सीधे विशेष Leading Question किये जा सकते है।
14. सह अपराधी से आमना—सामना (Confrontation) करवाकर सच्चाई का पता किया जा सकता है।
15. हवालात में नकली अपराधी साथ रखकर जानकारी हासिल की जा सकती है।
16. संदिग्ध द्वारा बीमारी के बहाने बाजी की स्थिति में Fake Doctor द्वारा।
17. विभिन्न वैज्ञानिक विधियों यथा लाईडिटेक्टर, नारको टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, सेडेटिव ड्रग्स व एल्कोहल के प्रभाव में लेकर, बगिंग डिवाइस आदि के द्वारा जानकारी हासिल की जा सकती है।

राजेन्द्र चौधरी
उप अधीक्षक पुलिस

निदेशक द्वारा नव आरक्षकों को उद्बोधन

पुलिस में भर्ती होकर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अकादमी में आने वाले समस्त पदों के प्रशिक्षुओं को अकादमी निदेशक सम्पर्क सभा के माध्यम से पुलिस विभाग एवं पुलिस प्रशिक्षण के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। दिनांक 11.08.2015 को निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी ने आरक्षी बैच संख्या 64 एवं पुलिस बैण्ड में भर्ती होकर आये प्रशिक्षु बैण्ड आरक्षियों से रूबरू होकर उन्हें विभिन्न विषयों पर जानकारी प्रदान की। सभी प्रशिक्षुओं को उन्होंने पुलिस विभाग में शामिल होने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि अब आप राजस्थान पुलिस बल के एक लाख सदस्यों का हिस्सा बन चुके हैं, जिसमें से 72 हजार संख्या पुलिस आरक्षी की ही है। उन्होंने कहा कि पुलिस आरक्षी सम्पूर्ण पुलिस व्यवस्था का आधार होता है इसलिए आपको जीवन में हमेशा उचित निर्णय लेने की आवश्यकता होगी तथा लोगों की सेवा का संकल्प लेना होगा। उन्होंने कहा कि आपका जीवन वास्तविक जीवन के नायक की तरह से होगा। आपको कई अवसरों पर उत्साहजनक एवं कुछ भिन्न करने की आवश्यकता होगी।

इस अवसर पर बात करते हुए उन्होंने नव आरक्षकों को बताया कि राष्ट्र की आन्तरिक व्यवस्था में पुलिस की सर्वाधिक भूमिका होती है। आपकी सेवा के दौरान पीड़ित व्यक्ति आपके पास सहायता के लिए आयेंगे जिन्हें सहायता प्राप्त होने पर अत्यधिक सन्तोष होगा। आप में से अधिकांश लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त पुलिस विभाग में आये हैं तथा सभी ऊर्जावान हैं। आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगावें तथा किसी प्रकार के पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं रहें। आपके नौ माह के प्रशिक्षण के दौरान पुलिस के समक्ष आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए दक्ष पुलिसकर्मी बनाया जाएगा ताकि आप इक्कीसवीं शताब्दी की चुनौतियों का मुकाबला पूर्ण दृढ़ता के साथ कर सकें। उन्होंने कहा कि जीवन में आधुनिकता के साथ पुलिस की चुनौतियाँ भी बढ़ती जा रही हैं जिसके लिए आपको प्रशिक्षण पूर्ण लगन के साथ पूरा करना होगा। पुलिस प्रशिक्षण के दौरान आपको समय की पाबन्दी एवं अनुशासन पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्हें बताया गया कि अकादमी तम्बाकू मुक्त क्षेत्र है तथा प्रशिक्षण के दौरान तम्बाकू एवं शराब के सेवन को अनुशासनहीनता माना जाएगा तथा सेवन करने वाले के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। उन्हें यह भी बताया गया कि गैरहाजरी का रिकॉर्ड रखा जाता है। अतः प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण में कभी भी गैरहाजिर नहीं होवें। अपने प्रशिक्षकों तथा सहप्रशिक्षुओं के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करें तथा कभी भी गलत भाषा का प्रयोग नहीं करें। उन्हें यह भी बताया गया कि कक्षा में अध्यापन के दौरान अधिकतम प्रश्न करें तथा सहपाठ्यक्रम गतिविधियों में अधिकतम भाग लें।

प्रशिक्षुओं को बताया गया कि अकादमी में मैस व्यवस्था एवं अन्य कार्य जिसमें प्रशिक्षुओं का पैसा खर्च होता है, में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाती है तथा किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर उसका समाधान किया जाएगा। उन्हें बताया गया कि प्रशिक्षण के दौरान एक बार चार–पाँच दिन के लिए मध्यावधि अवकाश दिया जाता है इसके अलावा अवकाश केवल गम्भीर परिस्थिति में ही दिया जाएगा। प्रशिक्षुओं को अपनी ई–मेल आईडी बनाने तथा आधुनिक तकनीक में पारंगत बनने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रशिक्षुओं की कई शंकाओं के भी समाधान बताये।

निवेदन

राजस्थान पुलिस अकादमी न्यूज लैटर में पाठकों से निरन्तर सुझाव आमंत्रित किये जाते रहे हैं। आपके सुझाव हमारे लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। न्यूज लैटर में प्रस्तुत सामग्री एवं इसके कलेवर के सम्बन्ध में आप अपने सुझाव अवश्य प्रेषित करें। आप अपने विचारों से न्यूज लैटर को बेहतर बनाने में सहयोग कर सकते हैं।

– सम्पादक

साइबर अपराध पर प्रशिक्षण

साइबर अपराधों के अनुसंधान के लिए पुलिस में दक्ष अनुसंधान अधिकारियों की कमी को देखते हुए एवं साइबर अपराधों में निरन्तर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राजस्थान पुलिस अकादमी में निरन्तर प्रशिक्षण चलाये जा रहे है। राजस्थान पुलिस अकादमी में साइबर अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण दिनांक 07.09.2015 से 16.09.2015 तक आयोजित किया गया जिसमें कुल 20 अधिकारियों नें भाग लिया। यह प्रशिक्षण प्रोग्राम बी.पी.आर.एण्ड डी. के सौजन्य से चलाये जा रहे हैं जिसमें विषय विशेषज्ञों से सहायता ली जाकर प्रशिक्षुओं को साइबर अपराधों से सम्बन्धित विभिन्न विषयों की जानकारी प्रदान की जाती है। प्रशिक्षण की शुरूआत साइबर अपराधों में वर्तमान रूझान के सम्बन्ध में श्री शरद कविराज पुलिस अधीक्षक, एटीएस, जयपुर ने जानकारी देते हुए बताया कि किस प्रकार लोगों को इन अपराधों के माध्यम से ठगा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के अपराधों में अनुसंधान के लिए विशेष दक्षता की आवश्यकता है क्योंकि अपराधी तक पहुँचना तथा अपराधी को सजा दिलाने लायक साक्ष्य एकत्रित करना निश्चित ही एक मुश्किल कार्य है। उन्होंने कम्प्यूटर एवं मोबाइल फोन के माध्यम से किये जाने वाले विभिन्न अपराधों एवं उनके स्रोतों के बारे में जानकारी प्रदान की। इस सत्र में उन्होंने साइबर अपराधों के अनुसंधान के सम्बन्ध में अपने व्यक्तिगत अनुभव भी साझा किये। सुश्री भावना सुगन्धा ने कम्प्यूटर के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जानकारी से लेकर नेटवर्किंग के द्वारा होने वाले साइबर अपराधों एवं उनके अनुसंधान के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने साइबर अपराधों में लिये जाने वाले साक्ष्य के बारे में भी बताया।

श्री अनिल पाराशर ने ऑपरेटिंग सिस्टम एवं सॉफ्टवेयर अप्लीकेशन के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए आधारभूत नेटवर्किंग तथा इन्टरनेट प्रॉटोकाल के बारे में जानकारी प्रदान की। श्री शेखर सिंह प्रबन्धक अनुसंधान एचडीएफसी बैंक ने बैंकिंग फ्रॉड्स के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए इस प्रकार के अपराधों को रोकने के उपाय बताये तथा इस प्रकार के अपराध होने की स्थिति में साक्ष्य संकलन की विधियाँ बताई। उन्होंने साक्ष्य को सुरक्षित रखने एवं रिकॉर्ड पर लेने के तरीके बताये तथा इस प्रकार के अपराध होने पर आरोप पत्र में उल्लेख किये जाने वाले तथ्यों के बारे में जानकारी प्रदान की। श्री मिलिन्द अग्रवाल ने साइबर अपराधों के अनुसंधान की वृहद तस्वीर पेश करते हुए साइबर अपराध अनुसंधान के प्रमुख आधार बताये। उन्होंने ई–मेल ट्रेकिंग, आईपी एड्रेस, हटाये गये संदेशों को वापिस देखने की विधि, मोबाइल फोरेन्सिक, विभिन्न प्रकार के मोबाइल एप्स, साक्ष्य संकलन, साक्ष्यों को एक सूत्र में जोड़ना तथा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोप–पत्र तैयार करने एवं न्यायालय में पेश करने के तरीके बताये।

प्रशिक्षण में राजस्थान पुलिस अकादमी के अतिरिक्त निदेशक श्री आनन्द वर्धन शुक्ला ने अपराधों में तकनीकी के प्रयोग तथा आधुनिक उपकरणों के माध्यम से किये जाने वाले साइबर अपराधों के बारे में जानकारी प्रदान की। श्री मनीष शर्मा निरीक्षक पुलिस एटीएस, जयपुर ने मोबाइल टेलिफोनी के बारे में बात करते हुए मोबाइल प्रयोग की स्थिति में अपराधियों तक पहुँचने के तरीके बताये तथा एसएमएस के माध्यम से किये जाने वाले धोखाधड़ी के मामलों में की जाने वाली पुलिस कार्यवाही के बारे में विस्तार से बताया। प्रशिक्षण में साइबर अपराधों के बारे में बताते हुए इन्टरनेट के माध्यम से किये जाने वाले अपराधों की जानकारी प्रदान की गई तथा साइबर अपराधियों एवं बेवसाइट को हैक करने वालों की अपराध विधि के बारे में बताया गया। श्री मुकेश चौधरी ने विभिन्न प्रकार के नेटवर्क, रूटर्स, स्वीचेज एवं हब्स, पोर्टल्स, आईपी एड्रेस, सबनेटिंग के बारे में बताते हुए उपभोक्ता एवं सर्वर के बारे में जानकारी प्रदान की। श्री मुकेश चौधरी ने ही प्रोक्सी सर्वर एवं प्राईवेट नेटवर्क के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए अनुसंधान हेतु जानकारी प्राप्त करने एवं साक्ष्य एकत्रित करने के तरीके बताये। श्री मुकेश चौधरी ने विभिन्न सोशियल नेटर्वक के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए विभिन्न सर्च ईंजन्स, फिसिंग एवं विजिंग, ई–मेल ट्रेकिंग, आईपी एड्रेस का पता लगाना एवं साइबर अपराधों के अनुसंधान की विधि पर प्रकाश डालते हुए इस प्रकार के साक्ष्य संकलन में व्यवहारिक अभ्यास करवाया। श्री मिलिन्द अग्रवाल ने साइबर अपराध अनुसंधान में साइबर आसूचना प्राप्त करने की विधियाँ बताई। प्रशिक्षण के अन्तिम सत्र में श्री ओमप्रकाश, उप निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी ने सोशियल साइट के माध्यम से किये जाने वाले अपराधों एवं सामाजिक समरसता में विष घोलने वाले लोगों के विरूद्ध सतर्क रहने का संदेश देते हुये इस प्रकार के अपराधों में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में विस्तार से बताया।

आर्थिक अपराधों पर प्रशिक्षण

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 26.08.2015 से 04.09.2015 तक आर्थिक अपराधों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सहायक उप निरीक्षक पुलिस से उप अधीक्षक पुलिस स्तर के सम्पूर्ण देश से आये 28 अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। यह प्रशिक्षण बीपीआर एण्ड डी नई दिल्ली के सौजन्य से प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के प्रारम्भिक सत्र में श्री डी.सी. जैन, महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेन्ज ने वर्तमान में होने वाले आर्थिक अपराधों के बारे में विस्तार से बताते हुए इस प्रकार के अपराधों की रोकथाम के लिए आसूचना संकलन एवं अनुसंधान की प्रक्रिया पर विस्तार से प्रकाश डाला। श्री बी. एल. सोनी, निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी ने आर्थिक अपराधों के अनुसंधान में अनुसंधान की योजना के महत्व को समझाते हुये बताया कि इससे न केवल अनुसंधान त्वरित गति से पूर्ण होता है अपितु अनुसंधान में कमी रहने की सम्भावना बहुत कम रह जाती है। उन्होंने बताया कि योजनाबद्ध अनुसंधान से अनुसंधान अधिकारी को अनुसंधान में शेष रहे कार्य का पता होता है। अनुसंधान में अगर कोई नया तथ्य सामने आता है तो उस पर भी अनुसंधान के दौरान अग्रिम योजना बनाकर कार्य करने से प्रकरण में त्वरित अनुसंधान के साथ ही सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। योजनाबद्ध अनुसंधान से प्रकरण में अभियुक्तों को सजा दिलवाने में मदद मिलती है तथा इस प्रकार के अनुसंधान में कमी रहने की सम्भावना नहीं रहती है।

अनुसंधान के दौरान शेयर मार्केट से सम्बन्धित अपराधों के बारे में श्री राजन नारायण, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि किस प्रकार फर्जी कम्पनियाँ बनाकर उनमें निवेशकों द्वारा लगाये गये पैसे को दूसरी कम्पनियों में डाइवर्ट कर निवेशकों को नुकसान पहुँचाया जाता है। उन्होंने इस

सम्बन्ध में सेबी की भूमिका पर प्रकाश डालते हुये बताया कि कई बार निवेश आमन्त्रित करने के लिए शेयर जारी करते वक्त कम्पनियाँ बढ़ा चढ़ाकर कम्पनी के भविष्य एवं प्राप्त होने वाले लाभ के बारे में झूठे दावे करती हैं। उन्होंने इस प्रकार के अपराधों के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में भी बताया। अपराध जगत में बढ़ते हुए भू माफियाओं के प्रभाव एवं उनकी कार्यशैली पर प्रकाश डालने के लिए श्री आर.एस. बत्रा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को बुलाया गया जिन्होंने फर्जी रजिस्ट्रियों में अपनाई जाने वाली विधियों के बारे में बताते हुये जमीन सम्बन्धित विवादों में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में बताया तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की भूमि के नामान्तरण से सम्बन्धित कानून की जानकारी प्रदान की। श्री डी.पी. सैनी, सेवानिवृत सहायक निदेशक अभियोजन ने फर्जी दस्तावेज बनाकर उन्हें सत्य के रूप में प्रयोग कर किये जाने वाले छल के मामलों में अनुसंधान की प्रक्रिया बताई। उन्होंने इस प्रकार के अपराधों में छल के लिए अपनाई गई सम्पूर्ण प्रक्रिया को समझने के पश्चात् प्रक्रिया के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी का विस्तृत बयान दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान तद्दानुसार करने पर बल दिया। उन्होंने इस प्रकार के अपराधों के अनुसंधान में विधि विज्ञान प्रयोगशाला से हस्तलेख विशेषज्ञ की विवादित दस्तावेज पर राय प्राप्त करना अतिशय जरूरी बताया। श्री डी.पी. सैनी ने ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 405 से 410 तक के अपराधों में अनुसंधान की विधि बताते हुए आरोप–पत्र बनाने की विधि के बारे में भी जानकारी प्रदान की।

श्री प्रतीक कासलीवाल ने आईपीआर से सम्बन्धित कानून तथा उसके अनुसंधान की विधि के साथ ही आई. टी. एक्ट में आर्थिक अपराधों के सम्बन्ध में प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान की। श्री ओम प्रकाश, उप निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर ने आर्थिक अपराधों के अनुसंधानों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के बारे में बताया। आयात एवं निर्यात के सम्बन्ध के अपराधों के बारे में श्री तेजेन्द्र सिंह, अधीक्षक कस्टम एवं एक्साइज, जयपुर ने जानकारी प्रदान की तथा बताया कि किस प्रकार महंगी आयातित वस्तुओं का कम मूल्य बताकर कस्टम चोरी की जाती है। उन्होंने तस्करी के द्वारा माल लाने एवं भेजने के द्वारा की जाने वाली कर चोरी के बारे में विस्तार से बताया तथा इस प्रकार के मामलों में पुलिस की भूमिका को रेखांकित किया।

वी.आई.पी. सुरक्षा पर प्रशिक्षण

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 14.09.2015 से 18.09.2015 तक वी.आई.पी. सुरक्षा पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसमें विभिन्न राज्यों से आये हुये सहायक उप निरीक्षक पुलिस से निरीक्षक पुलिस स्तर के 25 अधिकारियों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र में श्री देवेन्द्र सिंह पूर्व महानिदेशक पुलिस पधारे, जिन्होंने वी.आई.पी. सुरक्षा के प्रमुख सिद्धान्तों के बारे में बताते हुए विभिन्न आतंकवादी संघटनों की कार्यशैली पर विस्तार से प्रकाश डाला। श्री भगवान लाल सोनी, निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी ने विश्व में आतंकवाद की स्थिति का उल्लेख करते हुए वी.आई.पी. सुरक्षा की नवीनतम चुनौतियों के बारे में बताया। श्री दीपक भार्गव द्वारा एडवांस सेक्यूरिटी लाईजन एवं एन्टी सबोटेज चैक के बारे में, श्री ओमप्रकाश, सेवानिवृत डिप्टी कमाण्डेट ने आई.ई.डी. के बारे में, श्री राजेन्द्र चौधरी, उप अधीक्षक पुलिस ने सूचना संकलन एवं स्नीफर डॉग्स के बारे में जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण के दौरान बेगेज हेंडलिंग, एयरपोर्ट, हेलीपेड, रूट लाइनिंग सुरक्षा तथा आकस्मिकता की स्थिति में किये जाने वाले प्रबन्धों के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

मानव तस्करी पर प्रशिक्षण

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 03.08.2015 से 07.08.2015 तक मानव तस्करी पर पाँच दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। बीपीआर एण्ड डी के सौजन्य से आयोजित इस प्रशिक्षण में पुलिस अधिकारियों को मानव तस्करी की विभत्स समस्या से अवगत करवाकर इसके सम्बन्ध में कानूनी प्रावधानों एवं पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी प्रदान करना था। इस प्रशिक्षण में पूरे देश से आये हुए सहायक उप निरीक्षक पुलिस से लेकर उप अधीक्षक पुलिस स्तर के 28 अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

मानव तस्करी में प्रमुख रूप से महिलाओं एवं बच्चों को शिकार बनाया जाता है। मानव तस्करी के शिकार लोगों को वैश्यावृति, जबरन मजदूरी, भीख मंगवाना, मानव अंगों को निकाल कर प्रयोग करना, खतरनाक मनोरंजनात्मक खेलों में काम में लेना आदि है। राजस्थान में मानव तस्करी को रोकने के लिए किये गये प्रयासों पर चर्चा करने के लिए श्रीमती ज्योत्सना राजवंशी को बुलाया गया जिन्होंने राजस्थान में मानव तस्करी की तस्वीर पेश करते हुए मानव तस्करी से प्रभावित जिलों में मानव तस्करी रोकने के लिए किये जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी प्रदान की। मानव तस्करी में अभिरक्षित की अभिरक्षक से जैविक सम्बन्ध की जानकारी करने में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग करने के सम्बन्ध में डॉ. बी.एन. माथुर सेवानिवृत निदेशक राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने जानकारी प्रदान की। मानव तस्करी से सम्बन्धित कानून यथा भारतीय दण्ड संहिता की धाराऐं, आईटीपी एक्ट 1956, बंधुआ मजदूर निषेध अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम 2000, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 आदि के बारे में श्री डी.पी. सेनी, सेवानिवृत सहायक निदेशक, अभियोजन ने जानकारी प्रदान की। श्री दिनेश कुमार, यूनिसेफ में बाल अधिकार परामर्शी ने बताया कि बाल मन पर किसी प्रकार की ठेस नहीं लगनी चाहिए। अतः पुलिसकर्मियों को बालकों के सम्बन्ध में मिलने वाले परिवादों के बारे में त्वरित एवं संवेदनापूर्ण कार्यवाही करनी चाहिए।

श्रीमती कमल शेखावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने वाणिज्यिक प्रयोजन एवं लैंगिक शोषण के लिए की जाने वाली मानव तस्करी तथा जबरन एवं बन्धुआ मजदूरी के सम्बन्ध में मानव तस्करी की विभत्स स्थिति का उल्लेख करते हुये मानव तस्करी के प्रयोजनों एवं विभिन्न स्वरूपों पर प्रकाश डाला। श्री एस.एन. भोजक ने मानव तस्करी तथा जबरन मजदूरी एवं बन्धुआ मजदूरी के सम्बन्ध में कानूनी प्रावधानों पर जानकारी प्रदान की। श्री विजय गोयल ने मानव तस्करी से छुड़ाये गये पीड़ितों के सम्बन्ध में बचाव के पश्चात् उनकी देखभाल में पुलिस एवं सामाजिक संगठनों की भूमिका को रेखांकित किया तथा बताया कि पुलिस एवं सामाजिक संगठनों की साझी भूमिका से ही पीड़ित व्यक्तियों को जीवन की मुख्य धारा में लाया जा सकता है। श्री राधेश्याम शर्मा, सेवानिवृत अतिरिक्त निदेशक राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने मुक्त कराये गये पीड़ितों के सम्बन्ध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला तथा मेडिकल ज्यूरिस्ट की भूमिका के बारे में बताते हुए कहा कि यौन शोषण एवं आयु सम्बन्धी साक्ष्य प्राप्त करने के लिए यथा शीघ्र पुलिस को पीड़ित के आवश्यक परीक्षण करवाने चाहिए।

श्रीमती रेणूका पामेचा ने वैश्यालयों से मुक्त कराई गई लड़कियों एवं यौन शोषण के शिकार बालकों की कॉउन्सलिंग की आवश्यकता के बारे में बताया। श्रीमती अनिता ब्राडन ने महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला। श्री धीरज वर्मा उप निरीक्षक ने अनुसंधान एवं विभिन्न फर्दों के बारे में जानकारी प्रदान की। श्री आर.के. सक्सेना ने बाल कल्याण समिति एवं बाल गृहों की भूमिका के बारे में बताता। श्रीमती लाड कुमारी जैन अध्यक्ष राजस्थान महिला आयोग ने मानव तस्करी के सम्बन्ध में महिला आयोग की भूमिका को रेखांकित करते हुए मानव तस्करी के कारण एवं आयाम का उल्लेख करते हुए राजस्थान में मानव तस्करी की स्थिति के बारे बताया।

तीज पर्व पर अकादमी सेवा संकुल में विजेता को पुरस्कार प्रदान करते हुए श्रीमती अन्नू भट्ट

नैत्रदान संकल्प पत्र के साथ सामाजिक सरोकार की अभिव्यक्ति करते प्रशिक्षु

श्री रक्षेन्द्र सिंह स्लाईड मेकर को सेवा निवृति पर प्रतीक चिन्ह प्रदान करते हुए अकादमी निदेशक श्री भगवान लाल सोनी

श्री बनवारी लाल प्लाटून कमाण्डर को सेवा निवृति पर प्रतीक चिन्ह प्रदान करते हुए अकादमी उप निदेशक श्री ओमप्रकाश

Editorial Board

Editor in Chief

Bhagwan Lal Soni, IPS, Director

Editor

Jagdish Poonia, RPS

Members

A V Shukla (Addl. Director)
Om Prakash (DD)
Deepak Bhargava (AD)
Alok Srivastav (AD)
Saurabh Kothari (AD)
Anukriti Ujjainia (AD)
Laxman Singh Manda (AD)

Photographs By Sagar

Rajasthan Police Academy

Nehru Nagar, Jaipur (Rajasthan) India
Ph. : +91-141-2302131, 2303222, Fax : 0141-2301878
E-mail : policeresearchrpa@yahoo.com Web : www.rpa.rajasthan.gov.in

Premier # 0141-2295097